न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	पूर्व पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	वर्तमान पत्रावली सं0	दर्ज दिनांक	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	31/2022	02.05.2022	54/25 (2025/97)	16.01.2025	31.12.2025	1 लगायत 3
2	46/2023	12.09.2023				

1 राधेश्याम पुत्र सूरजमल जाति जागा निवासी रामनगर ढोसी तहसील बामनवास।
2 ओमप्रकाश पुत्र राधेश्याम जाति जागा निवासी रामनगर ढोसी तहसील बामनवास।
3 परमानन्द पुत्र राधेश्याम जाति जागा निवासी रामनगर ढोसी तहसील बामनवास।

——— अपीलार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिए तहसीलदार तहसील बामनवास। — रेस्पोडेन्ट

उपस्थित–
अपीलान्ट की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री कृष्ण कुमार उपाध्याय
रेस्पोडेन्ट की ओर से– पेरोकार सरकार

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम,1956

निर्णय

यह अपील तहसील बामनवास के नामान्तकरण सं0 155 दिनांक 03.05.1993 वाके ग्राम रामनगर ढोसी से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी। उक्त नामान्तकरण सं0 155 दिनांक 03.05.1993 द्वारा ग्राम रामनगर ढोसी में स्थित भूमि खं0नं0 501 रकबा 1.75 किस्म सिवायचक भूमि में से 0.50 है0 भूमि का नामान्तकरण मन्नी बाई वेवा राधेश्याम कोम जागा के नाम नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तकरण से अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पोडेन्ट सं0 1 की और से पेरोकार सरकार उपस्थित होने पर तथा अदालत मातहत की पत्रावली प्राप्त होने पर उभय पक्षों की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलार्थी संख्या 1 की पत्नि व अपीलार्थी संख्या 2 व 3 की माता मन्नीबाई पत्नि राधेश्याम जाति जागा निवासी रामनगर ढोसी तहसील बामनवास को आराजी खसरा नम्बर 501 रकवा 1.7[illegible] स्थित ग्राम रामनगर ढोसी में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.01.13 16:05:36 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

0.50 हैक्टर भूमि आवन्टित हुई थी। जिसका खसरा नम्बर 501/1 डाला गया।उक्त भूमि का जो नामान्तरकरण संख्या 155 दिनांक 03. 05.1993 को खोला गया, उसमें पटवारी हल्का द्वारा गलत प्रकार से दिनांक 18.03.1993 को मन्नी वाई पत्नि राधेश्याम के स्थान पर मन्नीवाई बेवा राधेश्याम दर्ज कर दिया गया। और उसी के अनुसार गिरदावर ने भी पटवारी की रिपोर्ट को सही मान लिया और उसी के

अनुसार तहसीलदार जी ने नामान्तरकरण खोलने के आदेश दे दिये। जबकि पटवारी को मुताविक आवन्टन प्रार्थना पत्र के मन्नीवाई पत्नि राधेश्याम दर्ज करना चाहिए था, मगर सहवन से उन्होने मन्नीवाई बेवा राधेश्याम दर्ज कर दिया, जिसके कारण अब अपीलार्थीगण को काफी परेशानी हो रही है।. यह कि मन्नीवाई का देहान्त दिनांक 17.06.2018 को हो गया है। मगर पटवारी हल्का ने अभी तक अप्रार्थीगण के नाम मन्नीवाई के स्थान पर नामान्तरकरण नहीं खोला है। पटवारी हल्का से जब नामान्तकरण खोलने हेतु कहां तो पटवारी हल्का ने बताया कि नामान्तरकरण जो खुला है, उसमें मन्नीवाई बेवा खधेश्याम दर्ज है। जिसे सही किया जाना अति आवश्यक है, साथ ही अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील स्वीकार कर नामान्तकरण सं0 155 दिनांक 03.05.1993 वाके ग्राम रामनगर ढोसी निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

पेरोकार सरकार ने दौराने बहस निवेदन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर तस्दीक किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है, साथ ही पेरोकार सरकार ने नामान्तकरण सं0 155 दिनांक 03.05.1993 वाके ग्राम रामनगर ढोसी यथावत रखने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी पक्ष ने दौराने बहस अवगत कराया कि विवादित नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा गलत प्रकार से दिनांक 18.03.1993 को मन्नी वाई पत्नि राधेश्याम के स्थान पर मन्नीवाई बेवा राधेश्याम दर्ज कर दिया गया। उक्त अपील राधेश्याम द्वारा प्रस्तुत की गई है। जिससे स्पष्ट है कि राधेश्याम जिवित है।

अतः परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर नामान्तकरण सं0 155 दिनांक 03.05.1993 वाके ग्राम रामनगर ढोसी निरस्त कर इस आदेश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अपीलार्थी स्वयं के खर्चे पर विवादित आराजीयात पर मन्नी वाई पत्नि राधेश्याम के स्थान पर मन्नीवाई बेवा राधेश्याम व विधिक वारिसान दर्ज का विवरण उल्लेख कर आपत्ति आमंत्रित करने हेतु स्थानीय दैनिक समाचार पत्र व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित करेगा कि न्यायालय में उक्त विवादित आराजीयात के राजस्व रिकोर्ड में वारिसानों का नाम दर्ज होने है तथा प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अदालत मातहत में प्रस्तुत करेगा। अदालत मातहत भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135 (2) के अन्तर्गत तीस दिवस में आपत्ति आंमत्रण करेगा। उक्त प्रकरण में यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो गुणावगुण पर सम्यक्

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.01.13 16:05:36 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 54/25 उनवान राधेश्याम बनाम सरकार

रूप से सुनवाई कर अथवा आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की वैधता का विनिश्चय कर पूर्व तस्दीक नामान्तकरण निरस्त कर नये सिरे से नामान्तकरण तस्दीक करने हेतु अदालत मातहत तहसीलदार स्वतंत्र है । यदि उक्त प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन हो या अन्य न्यायालय के स्थगन प्रतिकूल आदेश प्रचलित होने की दशा मे तहसीलदार पूर्व नामान्तकरण सं0 155 दिनांक 03.05.1993 को यथावत रखेगा।

निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.01.13 16:05:36 IST
Reason: SelfAttested